



कोरोना
अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

क्रमांक: न्याय/कोरोना संक्रमण//2020/ 2328 दिनांक: 01.04.2020

:: आदेश ::

कारोना वायरस (COVID-19) संक्रमण की रोकथाम एवं सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 25.03.2020 से आगामी 21 दिनों के लिये पूरे भारत वर्ष में लॉकडाउन की घोषणा की गई है।

माननीय वित्तमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिनांक 26.03.2020 के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत महिला खाताधारकों के खाते में 500/- प्रतिमाह की राशि 03 तक जमा की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं मार्च की समाप्ति पर विभिन्न संस्थाओं/विभागों द्वारा कर्मचारियों को पेंशन, वेतन, पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जानी है, एवं अप्रैल, 2020 के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में कुछ दिनों के सार्वजनिक अवकाश होने के कारण बैंकों के कार्य दिवस कम होने के चलते बैंक शाखाओं में बहुत अधिक भीड़ आने की सम्भावना है।

उपरोक्त स्थिति के मध्यनजर जिले में बैंक शाखाओं से जुड़े बैंक मित्र (BC) को तुरन्त प्रभाव से पुनः कार्य प्रारम्भ करने की निम्न शर्तों के अध्याधीन अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. प्रत्येक ग्राहक के हैडवाश से हाथ धुलवाने अनिवार्य होंगे।
2. बायोमेट्रिक डिवाइस को प्रत्येक ट्रांजेक्शन के बाद सेनिटाईज किया जावेगा।
3. लाईन में खड़े प्रत्येक ग्राहक, ट्रांजेक्शन कर रहे ग्राहक एवं बैंक मित्र (BC) सभी के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी बनाये रखना आवश्यक होगा। इस कार्य में स्थानीय पुलिस गार्ड मदद करेगी।
4. बैंक मित्र (BC) की सेवाएं बैंक कर्मियों के अनुरूप सेवाओं में ली गई है।
5. बैंक से राशि लाते व ले जाते समय, घर से आते-जाते समय आई. डी. हमेशा साथ रखने पर ही आवश्यक सेवाओं में नियमानुसार छूट दी जायेगी।
6. किसी भी ग्राहक से कोई भी अतिरिक्त शुल्क या अन्य धोखाधड़ी की शिकायत प्राप्त होने पर सेवाएं सदा के निरस्त की दी जायेगी।
7. बैंक मित्र (BC) के लिए कोई पास नहीं होगा। अपने उपकरणों के साथ कार्य करने के दौरान कोई पुलिस कार्मिक (BC) को नहीं रोकेगा।

जिले में स्थित बैंको की सभी शाखाएँ कोरोना संक्रमण (COVID-19) की रोकथाम हेतु भारत सरकार, आर.बी.आई., राजस्थान सरकार एवं अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं नियमों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगी। विशेष तौर से लाईन में खड़े प्रत्येक ग्राहक, ट्रांजेक्शन कर रहे ग्राहको एवं बैंक कर्मियों के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी बनाए रखते हुये मुंह पर मास्क होना अनिवार्य होगा। बैंक शाखा के बाहर भीड़ होने पर दिए गये दिशा निर्देशों के अनुरूप 01-01 मीटर की दूरी पर खड़ा करें, इस हेतु बैंक एवं पुलिस व स्थानीय गार्ड की मदद ली जावेगी। ग्राहक को बैंक एवं बैंक मित्र (BC) के बीच लौटा फेरी नहीं की जावेगी। बैंको के एटीएम मे पर्याप्त राशि रखते हुये एटीएम हर समय चालू रहे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(अविचल चतुर्वेदी)

जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

दिनांक: 04.04.2020

क्रमांक: न्याय/कोरोना संक्रमण/2020/ 2929

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:-

1. माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. माननीय प्रमुख शासन सचिव महोदय, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. महानिरीक्षक पुलिस रैंज जयपुर।
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक,राजस्थान राज्य।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. पुलिस अधीक्षक महोदय, दौसा।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद दौसा।
3. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दौसा/महवा/सिकराय/बांदीकुई/लालसोट/नांगल राजावतान/ रामगढ पचवारा।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा।
5. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, दौसा।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, दौसा।
7. जिला आबकारी अधिकारी, दौसा।
8. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, दौसा।
9. सहायक खनि अभियन्ता दौसा।
10. जिला परिवहन अधिकारी, दौसा।
11. श्रम कल्याण अधिकारी, दौसा।
12. उप निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, दौसा।
13. सचिव कृषि उपज मण्डी समस्तजिला दौसा।
14. स्टेशन अधीक्षक समस्त..... रेलवे स्टेशन जिला दौसा।
15. मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, दौसा।
16. प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा, कलेक्ट्रेट, दौसा।
17. अग्रणी जिला प्रबंधक लीड बैंक यूको, दौसा।
18. आयुक्त, नगर परिषद दौसा।
19. समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगणजिला दौसा।
20. समस्त तहसीलदारजिला दौसा।
21. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मंडल, लालसोट/ बांदीकुई/ महवा।
22. अति. निजी सचिव जिला कलेक्टर/निजी सहायक अति० जिला कलेक्टर, दौसा।
23. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
24. गार्ड फाईल।

जिला मजिस्ट्रेट
दौसा